

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग


क्रमांक: प.1(1)चिस्वा / गुप-2 / 2020

जयपुर, दिनांक : 07.04.2020

आदेश


विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग के आदेश दिनांक 07.04.2020 के द्वारा राज्य के समस्त आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारी तथा नर्स-कम्पाउन्डर की सेवाएँ आगामी आदेशों तक विभाग को सौंपी गई है।

इस संदर्भ में समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में पदस्थापित आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारी तथा नर्स-कम्पाउन्डर की सेवाएँ कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए आवश्यकतानुसार ली जावे।


(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय / मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राज.
7. समस्त जिला कलक्टर, राज.
8. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
9. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
10. निदेशक, होम्योपैथिक / यूनानी चिकित्सा विभाग, जयपुर
11. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज.
12. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
13. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
14. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
15. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।
16. निजी / रक्षित पत्रावली


(संजय कुमार)
शासन उप सचिव